स्पीड पोस्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 30/07/2019

File No. NK/2/2019/STGJH/DEOTH/RU-III

सेवा में,

1. उपायुक्त
डीसी ऑफिस, छत्तरमांडू
जिला रामगढ़ (झारखण्ड)–825101

2. पुलिस अधीक्षक
जिला रामगढ़
(झारखण्ड)–825101

3. प्रबंध निदेशक,
टाटा स्टील लिमिटेड,
पोस्ट बिष्टुपुर जमशेदपुर
(झारखण्ड)–831001

विषयः टाटा वेस्ट बोकारो डिविन्न, घाटोटांड जिला – रामगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी जनजातिय समुदाय के लोगों के बिजली पानी, सड़क को बाधित करने आवास को अनधिकृत तरीके से तोड़ने एवं जनजातिय परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में – श्री नीरज कुमार, महासचिव ऑल इण्डिया एस.सी./एस.टी.–ओ.बी.सी. क्लासेस को–ओर्डिनेशन कौंसिल, लालबाग, पोस्ट चारही, जिला – हजारीबाग (झारखण्ड) के संबंध में **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे दिनांक 25.07.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में **दिनांक 25.07.2019** को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों (एक माह)के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,
30/07/2019
(डा. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री नीरज कुमार, महासचिव ऑल इण्डिया एस.सी./एस.टी. ओ.बी.सी. क्लासेस को–ओर्डिनेशन कौंसिल, लालबाग, पोस्ट चारही, जिला – हजारीबाग (झारखण्ड)
2. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस. एन.आई.सी. एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- NK/2/2019/STGJH/DEOTH/RU - III)

श्री नीरज कुमार, महासचिव ऑल इंडिया एस.सी/एस.टी व ओबीसी क्लासेस को-ऑर्डिनेशन काउंसिल, लालबाग, पोस्ट- चरही, जिला- हजारीबाग द्वारा टाटा बेस्ट बोकारो डिविजन, घोटाटांड, जिला– रामगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों के बिजली, पानी, सड़क को बाधित करने आवास को अनाधिकृत तरीके तोड़ने एवं परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2019 को दोपहर 3.00 बजे आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 25.07.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री नीरज कुमार, महासचिव ऑल इंडिया एस.सी/एस.टी व ओबीसी क्लासेस को-ऑर्डिनेशन काउंसिल, लालबाग, पोस्ट- चरही, जिला- हजारीबाग द्वारा टाटा बेस्ट बोकारो डिविजन, घोटाटांड, जिला– रामगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों के बिजली, पानी, सड़क को बाधित करने आवास को अनाधिकृत तरीके तोड़ने और आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ मारपीट करने के मामले में दिनांक 23.02.2019 को आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था।
2. माननीय उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 13.03.2019 को आयोजित बैठक में अभ्यावेदक सहित अन्य पीड़ित पक्ष के 13 पुरुष व महिलाओं ने उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया था।
3. आयोग ने पिछली बैठक में निम्नलिखित अनुशंसा की थीः
    - एक निश्चित तिथि तय कर आयोग की एक कमिटी स्थलीय निरीक्षण करने के लिए उक्त क्षेत्र का दौरा कर वस्तुस्थिति का परीक्षण करेगा।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक इन अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के उत्पीडन और जीवन यापन पर संकट का समाधान कराएं तथा इनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- साथ ही इनके बस्ती के निकट किसी प्रकार के कार्य जो इनके लिए समस्या उत्पन्न करता है पर रोक लगाईं जाय।

4. दिनांक 13.06.2019 को आयोग द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा दिनांक 14.06.2019 को रांची में सुनवाई की गई। तत्पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की गई :
    - सभी परिवार यथा श्री पंकज कुजूर, स्व. मादिया देवी के परिवार, फ्रांसिस कुजूर, बिगनी देवी को तत्काल प्रभाव से टाटा स्टील की कॉलोनी में अस्थायी मकान आवंटित कर स्थानांतरित किया जाए। अस्थायी मकान एक वर्ष के लिए आवंटित की जाए तथा उक्त समय के बीच सभी परिवारों को पुनर्वासित करने की सभी प्रक्रिया पूरी की जाए।
5. मामले में माननीय उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 25.07.2019 को आयोग में बैठक आहूत की गई। जिसमें उपायुक्त रामगढ़, एस.पी रामगढ़ और टाटा कंपनी से एम. मिश्रा (जीएम), आनंद कुमार (चीफ मैनेजर), गोपाल झा, देबराज हाजरा, दिप्ती अलका सोरेन आदि उपस्थित हुए।
6. आयोग ने पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा, अभ्यावेदक ने बताया कि पिछली सिटिंग के बाद आयोग का निर्देश था कि उन सभी को मुआवजा दिया जाना था। इस संबंध में डीसी रामगढ़ और एस.पी रामगढ़ को पत्र प्राप्त हुआ था लेकिन कंपनी द्वारा बताया गया कि उन्हें इस संबंध में कोई पत्र नहीं मिला है जिसके कारण उनलोगों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया।
7. टाटा बेस्ट बोकारो के अधिकारियों ने बताया कि सभी अभ्यावेदक श्री पंकज कुजूर, स्व. मादिया देवी के परिवार, फ्रांसिस कुजूर, बिगनी देवी को कंपनी द्वारा आवास दिया जा रहा था लेकिन उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।
8. डीसी रामगढ़ ने बताया कि आयोग के पिछले दौरा के बाद सभी अभ्यावेदकों को पुनर्वास और मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। इनमें श्री पंकज कुजूर का जमाबंदी दर्ज था। दस्तावेजों की जांच से यह ज्ञात हुआ है कि यह जमाबंदी अवैध है। बाकि तीन अन्य अभ्यावेदक में किसी का कोई जमाबंदी दर्ज नहीं है। रजिस्टर 2 के अनुसार ये सभी वर्ष

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

1987-88 का रसीद दिखा रहे हैं। राज्य में कई जिलों में फर्जी हुकूमनामा बनवाने और रसीद कटाने का मामला सामने आया है। इनका हुकूमनामा सही या गलत है यह जांच का विषय है। पंकज कुजूर के अलावे तीन अन्य अभ्यावेदकों के हुकूमनामा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है अतः वह गलत है।

9. अभ्यावेदक ने बताया कि रजिस्टर 2 में सभी लोगों का जमाबंदी दर्ज है। उनके रसीद भी कटाया जाता है। फिर डीसी उसे कैसे अवैध बता रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड में बिना जांच के कैसे नाम दर्ज हो सकता है।
10. डीसी ने बताया कि रजिस्टर 2 में दर्ज जमाबंदी वैध है यह जरूरी नहीं है। कई फर्जी तरीके से दर्ज जमाबंदी पर भी रसीद कटती रही है। डीसी कार्यालय से यह निर्णय हो चुका है कि यह जमाबंदी अवैध है इस संबंध में रिपोर्ट भेज दिया गया है।
11. टाटा के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी मानवीय आधार पर मुआवजा देने को तैयार है। कंपनी द्वारा 1050 रुपये प्रति वर्गफीट का दर निर्धारित है। अगर 500 वर्गफीट का घर हो तो लगभग 8.50 लाख रुपया मुआवजा बनता है। अगर व्यक्ति घर बनाने में असमर्थ है तो कंपनी दो कमरे का मकान भी बनाकर दे देगी। आयोग का जो भी दिशानिर्देश होगा कंपनी उसे मानने के तैयार है।
12. आयोग की बैठक के पश्चात टाटा के अधिकारियों द्वारा एक पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसारः-

- अभ्यावेदक (1) स्वर्गीय मादिया देवी के परिवार, (2) श्रीमती बिगनी देवी, (3) श्री फ्रांसिस कुजूर, (4) श्री पंकज कुजूर को तकरीबन 24-26 लाख का मुआवजा प्रदान की जाएगी। मुआवजा की अंतिम गणना उनके घर तथा अन्य संरचना की माप के बाद की जाएगी तथा उनके घर पर अवस्थित सभी संरचना का मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रत्येक परिवार को कंपनी कॉलोनी में एक मकान (निःशुल्क) एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। तथा आवश्यकता पड़ने पर छह माह की अवधि का विस्तार किया जा सकता है।

  मगर किसी भी परिस्थिति में मकान का आवंटन एक वर्ष छह महीने से ज्यादा नहीं हो सकेगा।
- उपरोक्त सभी सुविधाएं दिनांक 06.08.2019 को पूर्ण करने की आवश्यकता है, अगर किसी भी कारणवश उक्त सभी परिवार दिनांक 06.08.2019 को कंपनी के

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

द्वारा प्रदत क्वार्टर में स्थानांतरण नहीं होते है तो कंपनी अपने स्तर से कानूनी सहायता लेने हेतू अग्रिम कार्रवाई करेगी।

- उपरोक्त सभी परिवार के एक सदस्य को कंपनी की अनुषंगिक ईकाई में नौकरी प्रदान करेगी। किसी भी परिस्थिति में उक्त परिवार टाटा स्टील में मौकरी की मांग नहीं करेंगे तथा टाटा स्टील घाटोटांड, किसी भी परिस्थिति में टाटा स्टील में नौकरी प्रदान नहीं करेगी।
- मुआवजा की राशि का भुगतान, परिवार के द्वारा कंपनी में आवंटित मकान में स्थानांतरण तथा मौजूदा घर को जमींदोज करने के पश्चात ही किया जाएगा। यह कार्य 3 दिनों में सम्पन्न किया जाएगा।
- उपरोक्त मुआवजा की अधिकतम सीमा के अलावा अन्य किसी भी तरह के मुआवजे के मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा

13. मामले में आयोग द्वारा की गई अनुशंसा निम्नानुसार हैः-

- टाटा कंपनी मुआवजा देने के लिए जमीन की मापी करे तथा अभ्यावेदक के साथ इस संबंध में अनुबंध करे तत्पश्चात उन्हें उचित मुआवजा प्रदान करे।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात अपने द्वारा की गई कार्यवाही से आयोग को एक माह के अंदर अवगत कराएं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- NK/2/2019/STGJH/DEOTH/RU - III)

श्री नीरज कुमार, महासचिव ऑल इंडिया एस.सी/एस.टी व ओबीसी क्लासेस को-ऑर्डिनेशन काउंसिल, लालबाग, पोस्ट- चरही, जिला- हजारीबाग द्वारा टाटा बेस्ट बोकारो डिविजन, घोटाटांड, जिला– रामगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों के बिजली, पानी, सड़क को बाधित करने आवास को अनाधिकृत तरीके तोड़ने एवं परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2019को दोपहर 3.00 बजे आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची.

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, — माननीय उपाध्यक्ष
  - (2.) श्री ए. के. सिंह, — सचिव
  - (3.) डॉ ललित लट्टा, — निदेशक
  - (4.) श्री गौरव कुमार, — उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  - (5.) श्री विकास शर्मा, — कानूनी सलाहकार
  - (6.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, — परामर्शक
- **झारखंड शासन के अधिकारी**
  - (1.) श्री प्रभात कुमार, — एस.पी, रामगढ़
  - (2.) श्री संदीप सिंह, — डी.सी, रामगढ़
- **टाटा कंपनी के अधिकारी**
  - (1.) श्री एम. मिश्रा, — जीएम, टाटा बेस्ट बोकारो

(2.) श्री आनंद कुमार, चीफ मैनेजर

(3.) श्री गोपाल झा, अधिकारी

(4.) श्री देबराज हजरा, अधिकारी

(5.) श्री दिप्ती अलका सोरेन, अधिकारी

- **अभ्यावेदक**

(1.) नीरज बेसरा	(2.) गीताश्री उरांव
(3.) कंचन कुजूर	(4.) मंजुला प्रतिमा लिंडा
(5.) रितिका उरांव	(6.) सुमन उरांव
(7.) विजय उरांव	(8.) सुरज उरांव